



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 ज्येष्ठ 1935 (श10)
(सं0 पटना 401) पटना, बुधवार, 22 मई 2013

विधि विभाग

अधिसूचनाएं
22 मई 2013

सं० एल0जी0-1-10/2013/लेज 84—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 15 मई, 2013 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव ।

(बिहार अधिनियम 6, 2013)

बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 में संशोधन हेतु अधिनियम।

प्रस्तावना।—चूँकि, स्वैच्छिक संस्था के रूप में गठित सहकारी समितियों सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक बेहतरी के लिए सदस्यों की आर्थिक सहभागिता, सदस्यों के जनतांत्रिक नियंत्रण एवं स्वायत्त कार्यकलाप से अपने सदस्यों के हित में और अधिक सार्थक रूप में कार्य कर सकें;

और, चूँकि, राज्य में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यकलाप, जनतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबन्धन को प्रोत्साहित करना एवं उसका उन्नयन करना और इस प्रयोजनार्थ ऐसे अध्यापय करना, जो आवश्यक हो, राज्य सरकार का दायित्व है;

और, चूँकि, संविधान (संतानवें संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुशरण में बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 में उपयुक्त संशोधन के अनुकूल रखने हेतु कई संशोधन अनिवार्य हैं;

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।— (1) यह अधिनियम बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 (अधिनियम VI, 1935) की धारा-2 का संशोधन।— बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 (अधिनियम VI, 1935) (इसके आगे उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा-2 में निम्नवत संशोधन किया जायेगा, यथा:-

(1) उप-धारा (ड) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:-

“(ड) “**बोर्ड**” से अभिप्रेत है निदेशक बोर्ड अथवा शासी निकाय अथवा प्रबन्ध समिति, चाहे जो भी इसका नाम हो, जिसे सहकारी समिति के कामकाज का प्रबन्धन सौंपा गया हो।”

(2) उप-धारा (छछ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:-

“(छछ) “**पदधारी**” से अभिप्रेत है सहकारी समिति के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव अथवा कोषाध्यक्ष तथा किसी सहकारी समिति के बोर्ड द्वारा निर्वाचित कोई अन्य व्यक्ति।”

(3) उप-धारा (त) के बाद निम्नलिखित नई उप-धारा (थ), (द), (ध) एवं (न) जोड़ी जायेगी, यथा:-

“(थ) “**सामान्य निकाय**” से अभिप्रेत है उस सहकारी समिति के सम्मिलित रूप से सभी सदस्य अथवा सभी सदस्यों के प्रतिनिधि।”

“(द) “**कृत्यकारी निदेशक**” से अभिप्रेत है नियमावली अथवा सहकारी समिति के उपविधियों में विनिर्दिष्ट समिति के कृत्यकारी कार्यपालक निदेशक।”

“(ध) “**पिछड़े वर्गों**” से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित है “बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम- 1991” (बिहार अधिनियम सं0-3, 1992) की अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्गों के नागरिकों की सूची, समय-समय पर यथासंशोधित ;

“(न) “**अति पिछड़े वर्गों**” से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित है “बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम- 1991” (बिहार अधिनियम सं0-3, 1992) की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्गों के नागरिकों की सूची, समय-समय पर यथासंशोधित ।

3. अधिनियम VI, 1935 की धारा-13क. में संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा-13क. की उप-धारा (1) एवं (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:-

“(1) राज्य में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यकलाप, जनतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबन्धन को प्रोत्साहित एवं उन्नत करना और इस ओर ऐसे कदम उठाना, जिसकी आवश्यकता हो, राज्य सरकार का दायित्व होगा।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन सहकारी समिति के प्रोत्साहन एवं उन्नयन हेतु राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझे तो-

(क) किसी सामान्य या निबंधित सहकारी समिति के किसी वर्ग के विकास में सहायता के विचार से सहकारी समिति की हिस्सा-पूँजी में सीधे अंशदान दे सकेगी;

(ख) किसी सहकारी समिति की हिस्सा-पूँजी के निर्माण एवं सम्बर्द्धन के लिए सहायता कर सकेगी;

(ग) सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम दे सकेगी या सहकारी समिति के द्वारा निर्गत डिबेंचर पर मूलधन के पुनर्भुगतान और सूद के भुगतान की गारंटी दे सकेगी या

किसी सहकारी समिति को दिये गये ऋण या अग्रिम के मूलधन के पुनर्भुगतान और सूद के भुगतान की गारंटी दे सकेगी।”

4. अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में संशोधन। — उक्त अधिनियम की धारा-14 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे, यथा:—

(1) उप-धारा (2) का परन्तुक निम्नलिखित परंतुकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

“परन्तु यह कि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के लिए दो स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए दो स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए दो स्थान आरक्षित होगा :

परन्तु और यह कि उपर्युक्त परन्तुक में यथाविहित स्थानों के आरक्षण के ध्येय से राज्य सरकार, सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा, वैसी समितियों अथवा समितियों के वर्ग को जिनमें सदस्यों के रूप में व्यक्ति अन्तर्विष्ट नहीं हैं अथवा जिनमें उपर्युक्त आरक्षण श्रेणियों से सदस्य नहीं हैं, को अपवर्जित कर सकेगी:

परन्तु और यह कि उपर्युक्त के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या कुल स्थानों के पचास प्रतिशत से अनधिक होगा :

परन्तु और भी कि उपर्युक्त के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे :

परन्तु यह और भी कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों, पिछड़े वर्गों एवं अति पिछड़े वर्गों के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं किये गये हैं, उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे :

परन्तु यह और भी कि इस प्रकार महिलाओं के लिए आरक्षित कुल स्थानों की संख्या दो से अन्यून होगी :

इस प्रकार आरक्षित स्थान, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा महिलाओं के बीच से, निर्वाचन या/ और सहयोजन द्वारा भरे जायेंगे। यह प्रावधान प्राथमिक सोसाइटी से शीर्ष सोसाइटी तक की सभी सोसाइटियों पर लागू होगा :

परन्तु और भी कि प्राथमिक समिति तथा शीर्ष समिति तक ऐसा आरक्षण इस प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा शासित होगा।”

(2) उप-धारा (4) को (4) (क) के रूप में पुनर्संख्याकित की जायेगी।

(3) उप-धारा (4) (क) के बाद नई उप-धारा (4) (ख) निम्नवत् जोड़ी जायेगी, यथा:—

“(4)(ख) इस अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा इसके अधीन बनायी गयी नियमावली अथवा किसी सहकारी समिति की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समिति के बोर्ड में बैंकिंग, प्रबन्धन, वित्त अथवा समिति के उद्देश्यों और कार्यकलाप के अनुरूप दूसरे क्षेत्रों के विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को सदस्य के रूप में समिति द्वारा सहयोजित किये जा सकेंगे:

परन्तु इस प्रकार सहयोजित सदस्यों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी और यह उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट बोर्ड की अधिकतम संख्या के अतिरिक्त होगी:

परन्तु और कि ऐसे सहयोजित सदस्यों को सहकारी समिति के किसी निर्वाचन में ऐसी सदस्यता के अधीन मत देने का अधिकार नहीं होगा और न वे बोर्ड में पदधारी के रूप में निर्वाचित होने के पात्र होंगे:

परन्तु और भी कि सहकारी समिति के कृत्यकारी निदेशक भी बोर्ड के सदस्य होंगे और उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट निदेशकों की कुल संख्या की गणना के प्रयोजनार्थ ऐसे सदस्य अपवर्जित किये जायेंगे।

(4) उप-धारा (9) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:—

“(9) किसी सहकारी समिति के नियमों या उपविधियों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, किसी सहकारी समिति की बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों एवं पदाधिकारियों की पदावधि निर्वाचन की तिथि से पाँच वर्षों की होगी और पदाधिकारियों की पदावधि बोर्ड के पदावधि के सह-विस्तारी होगी:

परन्तु बोर्ड आकस्मिक रिक्ति को उसी वर्ग के सदस्यों से, मनोनयन द्वारा भर सकेगा, जिससे संबंधित आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई हो, यदि बोर्ड की मूल अवधि से आधे से कम की अवधि बाकी हो:

परन्तु यह और यदि बोर्ड की अवधि उसकी मूल अवधि के आधे से अधिक बाकी हो, और यदि सदस्यों अथवा पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए चाहे जिस किसी कारण से कोई भी रिक्ति उत्पन्न होती है तो शेष अवधि के लिए, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार उप-निर्वाचन कराकर रिक्ति को भरेगा।”

(5) उप-धारा (10) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:—

“(10) बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार किसी सहकारी समिति, जहाँ राज्य सरकार ने हिस्सापूजी अथवा ऋण अथवा वित्तीय सहायता अथवा कोई सरकारी गारंटी दी हो, में बोर्ड का निर्वाचन संचालित करने में यदि कारणवश असफल हुआ हो तो बोर्ड अवधि की समाप्ति की तिथि से स्वतः अधिक्रमित समझा जायेगा तथा निबन्धक, सहयोग समितियाँ, विधि के अनुसार नये बोर्ड के गठन हेतु छः माह से अनधिक अवधि के लिए किसी व्यक्ति को प्रशासक के रूप नियुक्त करेंगे। इस प्रकार नियुक्त प्रशासक बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

को निर्वाचन के संचालन में हर संभव सहायता करेगा। यह व्यवस्था पूर्णतः अन्तरिम व्यवस्था होगी और प्रशासक, विहित अवधि के भीतर, निर्वाचन के उपरान्त नये बोर्ड को समिति का प्रबन्धन सौंप देगा:

परन्तु जहाँ सरकार हिस्सा-पूँजी अथवा ऋण अथवा वित्तीय सहायता अथवा किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी हो और जहाँ बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार बोर्ड की अवधि के समाप्ति के पूर्व निर्वाचन संचालित करने में असफल रहता है, तो निबंधक, सहकारी समितियाँ निर्वाचन संचालन करने के प्रयोजनार्थ एक तदर्थ बोर्ड की नियुक्ति के लिए सदस्यों की एक विशेष आम सभा आयोजित करने का आदेश दे सकेंगे:

परन्तु यह और कि निर्वाचन संचालन करने के प्रयोजनार्थ तदर्थ समिति में बोर्ड के वहिर्गामी सदस्य अथवा पदधारी सम्मिलित नहीं किये जायेंगे:

परन्तु और भी कि इस प्रकार नियुक्त तदर्थ बोर्ड की अवधि छः माह से अधिक की नहीं होगी, और, वह तदर्थ बोर्ड बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को निर्वाचन के संचालन में हर संभव सहायता प्रदान करेगा। यह व्यवस्था पूर्णतः अन्तरिम व्यवस्था होगी और इस प्रकार नियुक्त तदर्थ बोर्ड, विहित अवधि के भीतर, निर्वाचन के उपरान्त नये बोर्ड को समिति का प्रबन्धन सौंप देगा।”

5. अधिनियम VI, 1935 की धारा-27 का प्रतिस्थापन। – उक्त अधिनियम की धारा-27 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:—

“**27. सदस्य का अधिकार।** – (1) सहकारी समिति का कोई भी सदस्य नियमों या समिति की उपविधि में विहित सदस्यता विषयक अदायगी कर देने के बाद समिति के सदस्य के अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे:

परन्तु इस अधिनियम के किसी प्रावधान में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी किसी सहकारी समिति का सदस्य, इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली अथवा उपविधियों द्वारा विहित यथा स्थिति, समिति के प्रबंधन में सहभागिता और न्यूनतम अपेक्षित सेवाएँ प्राप्त करने हेतु बुलाई गई बैठकों में यथापेक्षित न्यूनतम उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही समिति के बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।

(2) प्रत्येक सहकारी समिति, प्रत्येक सदस्य की पहुँच की व्यवस्था, ऐसे सदस्यों अपने कारबार के नियमित संव्यवहार में रखे गये सहकारी समिति की बही, सूचना और लेखा तक, करेगी।

(3) सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को सहकारी समिति में संधारित अभिलेखों, सूचनाओं तथा व्यवसाय से संबंधित नियमित संव्यवहारों के लेखाओं के संबंध में सभी जानकारी/कागजात प्राप्त करने का अधिकार होगा। सहकारी समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्रबंधक सभी वांछित जानकारी/कागजातों तक सदस्यों की पहुँच सुनिश्चित करेगा।

(4) सहकारी समिति के सदस्यों को इस अधिनियम, किसी प्रावधान के अधीन बनायी गयी नियमावली तथा उपविधियों के अनुसार सहकारी शिक्षा तथा सहकारिता संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा।”

6. अधिनियम VI, 1935 के अध्याय – IV, के बाद अध्याय IVक का अन्तःस्थापन। – उक्त अधिनियम के अध्याय IV, के बाद निम्नलिखित अध्याय IV क अन्तःस्थापित की जायेगी, यथा:—

“अध्याय IV क।

सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा तथा वार्षिक विवरणी।

32क. वार्षिक आम सभा। – (1) प्रत्येक सहकारी समिति का बोर्ड, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, छह माह के भीतर वार्षिक आम सभा बुलायेगी, जिसमें बोर्ड के सदस्यों एवं उसके पदाधिकारियों के निर्वाचन को छोड़कर, निम्नलिखित सूचीबद्ध विषयों में से सभी अथवा किसी पर चर्चा करेगी:—

- (क) निबन्धक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गयी वार्षिक लेखा विवरणी पर विचारण;
- (ख) बोर्ड द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन पर विचारण;
- (ग) सांविधिक अंकेषकों एवं आन्तरिक अंकेषकों की नियुक्ति एवं हटाया जाना;
- (घ) अंकेक्षण के रिपोर्ट और निबन्धक को दाखिल की जाने वाली अंकेक्षित लेखा विवरणी का विचारण;
- (ङ) अंकेक्षण/विशेष अंकेक्षण-अनुपालन प्रतिवेदन का विचारण;
- (च) जाँच प्रतिवेदन, यदि कोई हो, पर की गई कार्रवाई पर विचारण;
- (छ) शुद्ध अधिशेष का निपटान;
- (ज) संचालन घाटा, यदि कोई हो, का पुनर्विलोकन;
- (झ) दीर्घकालीन भावी योजना और वार्षिक परिचालन योजना का अनुमोदन;
- (ञ) वार्षिक बजट का अनुमोदन;
- (ट) विनिर्दिष्ट आरक्षित एवं अन्य निधियों का सृजन;
- (ठ) आरक्षित एवं अन्य निधियों की वास्तविक उपयोगिता का पुनर्विलोकन;
- (ड) अन्य सहकारी समितियों में सहकारी समिति की सदस्यता पर प्रतिवेदन;

- (ढ) जिस व्यक्ति की सदस्यता के लिए आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया हो अथवा जिसकी सदस्यता बोर्ड द्वारा समाप्त कर दी गई हो, व्यक्ति की अपील;
- (ण) किसी निदेशक, अंकेक्षक या आन्तरिक अंकेक्षक को उस हैसियत से उसके कर्तव्य अथवा संबंधित बैठकों में उसकी उपस्थिति के संबंध में भुगतये पारिश्रमिक;
- (त) संघ/परिसंघ में सहकारी समिति की सदस्यता;
- (थ) अन्य संगठनों के साथ सहयोग;
- (द) उपविधियों का संशोधन;
- (ध) निदेशकों एवं पदधारियों के लिए आचार संहिता बनाना;
- (न) सदस्यों के नामांकन एवं सदस्यता समाप्ति पर टिप्पणी;
- (प) सहकारी समिति का विघटन;
- (फ) ऐसे अन्य कृत्य, जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट हों।

(2) उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए प्रावधानों के अनुसार सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा, उपविधियों के अनुसार अधिसूचित समय, तिथि तथा स्थान पर होगी और यदि गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित हो तो सहकारी समिति के अध्यक्ष सभा का सभापतित्व करेंगे:

परन्तु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में, सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित कोई व्यक्ति सभा का सभापतित्व करेगा:

परन्तु और कि ऐसी किसी समिति की दशा में जहाँ इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रबंध समिति अधिक्रमित हो गयी हो, वहाँ प्रशासक आम सभा का सभापतित्व करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में, उनके द्वारा नाम निर्देशित कोई व्यक्ति सभा का सभापति होगा।

(3) सभा का सभापतित्व करने वाला व्यक्ति सभा की कार्यवाही का संचालन उस रीति से करेगा जो कारबार के तीव्रता तथा संतोषजनक निपटारे के लिए हो और सभा में आदेश के सभी बिन्दुओं पर निर्णय लेगा।

(4) आम सभा की सूचना निर्गत होने की तिथि को समिति की कुल सदस्य संख्या जो होगी उसका पंचमांश आम सभा की गणपूर्ति (कोरम) होगी।

(5) यदि आम सभा के लिए निर्धारित समय से एक घंटा के भीतर गणपूर्ति उपस्थित न हो तो सभा ऐसी तिथि के लिए स्थगित कर दी जायेगी जो सात दिनों से पूर्व और इक्कीस दिनों के बाद न हो।

(6) स्थगित आम सभा के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(7) आम सभा में सभी प्रश्नों पर निर्णय बहुमत से किया जायेगा और मतों की समता की स्थिति में, सभा के सभापति निर्णायक मत देंगे।

(8) परोक्षी मत स्वीकृत नहीं किया जायेगा, किन्तु किसी विशिष्ट निबंधित सहकारी समिति अथवा किसी विशिष्ट निबंधित सहकारी समिति के वर्ग के मामले में, निबन्धक ऐसा करने की अनुमति दे सकेंगे।

(9) आम सभा में हाथ उठाकर मतदान किया जायेगा और केवल आपवादिक मामले में, यदि निबन्धक स्वप्रेरणा से अथवा संबंधित समिति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर इस प्रकार का निदेश दे तो, मतपत्र द्वारा मतदान अपनाया जा सकेगा।

(10) आम सभा की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त इस प्रयोजनार्थ रखी गई एक बही में अभिलिखित किया जायेगा और सभा का सभापतित्व करने वाले व्यक्ति द्वारा कार्यवृत्त हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(11) किसी आम सभा में अपनायी गई प्रक्रिया संबंधी सभी मामलों में अपील निबन्धक के समक्ष संस्थित होगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

32ख. वार्षिक विवरणी दाखिल किया जाना। – प्रत्येक सहकारी समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर निबन्धक के समक्ष वार्षिक विवरणी दाखिल करेगी जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल रहेंगे :-

- (क) कार्यकलापों का वार्षिक रिपोर्ट;
- (ख) लेखाओं का अंकेक्षित विवरण;
- (ग) सामान्य निकाय द्वारा यथानुमोदित अधिशेष के निपटारे की योजना;
- (घ) सहकारी समिति की उपविधियों में किये गये संशोधनों की सूची, यदि कोई हो;
- (ङ) सामान्य निकाय की सभा के आयोजन की तारीख तथा निर्वाचन का संचालन, यदि देय हो, से संबंधित घोषणा;
- (च) कोई अन्य जानकारी, जो निबन्धक द्वारा अधिसूचित अधिनियम के किसी प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक, हो।”

7. **अधिनियम VI, 1935 की धारा-33 का प्रतिस्थापन।** – उक्त अधिनियम की धारा-33 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:-

“33. अंकेक्षण। – (1) सहकारी समिति अपनी लेखाओं का अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार, इस हेतु राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नामावली

के अंकेक्षक द्वारा कराएगी। ऐसा अंकेक्षक चाटर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 के अर्थान्तर्गत या तो चाटर्ड एकाउन्टेन्ट होगा या निबन्धक के कार्यालय का अंकेक्षक होगा।

(2) राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नामावली के अंकेक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक (गणित के साथ) अथवा वाणिज्य स्नातक होगी। ऐसे अंकेक्षकों अथवा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म से अंकेक्षण का कम से कम तीन वर्ष के अनुभव की अपेक्षा की जायगी। ऐसे अंकेक्षक अथवा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म ही सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण करने हेतु पात्र होंगे।

(3) प्रत्येक सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त, उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट अंकेक्षक अथवा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा किया जायगा।

(4) प्रत्येक सहकारी समिति की लेखाओं का अंकेक्षण उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर करना अनिवार्य होगा, जिस वित्तीय वर्ष से ऐसा लेखा संबंधित हो।

(5) शीर्ष सहकारी समिति, अपनी लेखा-विवरणों के अंकेक्षण के उपरान्त, अंकेक्षक का प्रतिवेदन, सामान्य निकाय के अनुमोदनोपरान्त, तीस दिनों के भीतर निबन्धक को अनिवार्य रूप से प्रेषित करेगी जिसे राज्य सरकार द्वारा, विधान मण्डल के पटल पर इस प्रयोजनार्थ अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार रखा जायगा।

(6) सहकारी समिति की लेखाओं पर प्रतिवेदन के अतिरिक्त अंकेक्षक का प्रतिवेदन में बोर्ड की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति, निदेशकों द्वारा सहकारी समिति को मंजूर किए गए ऋण एवं अग्रिम या सहकारी समिति के साथ किए गए कारबार, बोर्ड की बैठकों पर हुये व्यय, निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक, निदेशकों को प्रतिपूर्ति किए गए व्यय, सदस्य, स्टाफ, निदेशक तथा अन्य की शिक्षा और प्रशिक्षण पर हुये व्यय भी अन्तर्विष्ट होंगे।

(7) यह सुनिश्चित करना बोर्ड का कर्तव्य होगा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर वार्षिक वित्तीय विवरणी को तैयार की जाय और अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत कर दी जाय।

(8) अंकेक्षक के पारिश्रमिक सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा नियत किया जायेगा: परन्तु यदि अंकेक्षण, निबन्धक के कार्यालय के अंकेक्षक द्वारा किया जाता है तो निबन्धक द्वारा नियत अंकेक्षण फीस का भुगतान सहकारी समिति करेगी।

(9) सामान्य निकाय, उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किसी अंकेक्षक को पद से हटा सकेगा।

(10) किसी सहकारी समिति के अंकेक्षक की मांग पर, सहकारी समिति के वर्तमान या पूर्व पदधारी, बोर्ड के सदस्य, सदस्य या कर्मचारी निम्नलिखित को उपलब्ध करायेंगे :-

(क) ऐसी जानकारी और ऐसा स्पष्टीकरण जिसे आवश्यक समझा जाय, तथा
(ख) सहकारी समिति के प्रत्येक ऐसे अभिलेखों, दस्तावेजों, बहियों, लेखाओं और भाउचरों को जो, अंकेक्षक की राय में, जाँच करने और प्रतिवेदित करने में उसे समर्थ करने हेतु आवश्यक हो।

(11) जहाँ कोई सहकारी समिति समय पर अपने वार्षिक लेखाओं का अंकेक्षण कराने में असफल हो, वहाँ नियत तारीख से नब्बे दिनों के भीतर निबन्धक, सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण करायेंगे।

(12) ऐसे अंकेक्षण संचालन करने का खर्च सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।”

8. अधिनियम VI, 1935 की धारा-33 के बाद नई धारा 33.क एवं 33.ख का अन्तःस्थापन।—उक्त अधिनियम की धारा-33 के बाद निम्नलिखित नई धारा-33.क एवं 33.ख अन्तःस्थापित की जायेगी, यथा:—

“33.क. विशेष अंकेक्षण।— (1) राज्य सरकार या अन्य सहकारी समिति या अन्य वाह्य व्यक्ति या संस्था से निधियों का संव्यवहार करने वाली किसी सहकारी समिति का विशेष अंकेक्षण, ऋणदाताओं के अनुरोध पर या निबन्धक द्वारा स्वप्रेरणा से ऐसे लिखित विनिर्दिष्ट आदेश/निदेश से आरंभ किये गए विशेष अंकेक्षण के अधीन रहते हुए, होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन विशेष अंकेक्षण निबन्धक के नियंत्रणाधीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी/ वरीय स्तर के अंकेक्षण पदाधिकारी या ऐसे पदाधिकारियों की किसी कमिटी द्वारा किया जायेगा।

(3) जहाँ विशेष अंकेक्षण में गम्भीर कुप्रबन्धन का पता चले, वहाँ ऐसे विशेष अंकेक्षण का खर्च सहकारी समिति से या कुप्रबन्धन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूल किया जा सकेगा।

(4) प्रत्येक विशेष अंकेक्षण आदेश निर्गमन की तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर पूरा किया जायगा और निबन्धक को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जायगा।

(5) ऐसे विशेष अंकेक्षण रिपोर्ट में निम्नलिखित का विवरण अन्तर्विष्ट होगा :-

(क) प्रत्येक भुगतान, जो अंकेक्षक को अधिनियम, अथवा अधिनियम के अधीन बनी नियमावली अथवा सहकारी समिति की उपविधियों के प्रतिकूल प्रतीत हो,

(ख) किसी घाटे/बर्बादी अथवा हानि की, जो किसी व्यक्ति की गंभीर उपेक्षा अथवा कदाचार के कारण हुई हो, की राशि;

(ग) प्राप्त कोई रकम, जो लेखा-जोखा में लानी चाहिये थी किन्तु किसी व्यक्ति द्वारा लेखा में नहीं लाई गई हो, एवं

(घ) कोई आस्तियों अथवा धन, जिससे कोई व्यक्ति सहकारी समिति के संगठन अथवा प्रबंधन के साथ संबंधित हो अथवा सहकारी समिति का कोई भूतपूर्व अथवा वर्तमान सदस्य समिति की किसी संपत्ति का दुर्विनियोग किया हो अथवा कपटपूर्वक रख लिया हो।

(6) विशेष अंकेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर, निबन्धक उसकी प्रतियाँ निम्नलिखित को प्रेषित कर देगा:—

- (क) आवेदक ऋणदाता;
- (ख) सम्बन्धित सहकारी समिति, और
- (ग) जहाँ धारा-40 के अधीन आवश्यक हो, अधिभार की कार्यवाही की कार्यवाही दाखिल करने हेतु अधिकृत अंकेक्षण पदाधिकारी।

33.ख. लेखाओं तथा अभिलेखों का संधारण। - (1) प्रत्येक सहकारी समिति अपने निबंधित कार्यालय में निम्नलिखित लेखाओं और अभिलेखों को रखेगी :-

- (क) समय-समय पर किए गए संशोधन सहित इस अधिनियम की एक प्रति;
- (ख) कार्यवृत्त पुस्तक;
- (ग) निबंधन प्रमाण-पत्र तथा निबंधित उपविधियों की एक प्रति और संशोधन की तारीख के साथ समय-समय पर निबंधित संशोधनों की एक प्रति;
- (घ) ऐसे संघ/परिसंघ की, जिसका वह सदस्य हो, तथा अपने प्रत्येक सदस्य सहकारी समिति के लिए अधिप्रमाणित उपविधियों की एक-एक प्रति;
- (ङ) सहकारी समिति द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सभी राशि की लेखा तथा उनका प्रयोजन;
- (च) सहकारी समिति द्वारा सामानों की सभी खरीद-बिक्री का लेखा;
- (छ) सहकारी समिति की आस्तियों तथा दायित्वों का लेखा;
- (ज) कुल सदस्यता तथा विभिन्न सेवाओं का सदस्यवार उपयोग प्रदर्शित करने वाली पंजी;
- (झ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर अद्यतन की गई चालू वित्तीय वर्ष के लिए मताधिकार प्राप्त सदस्यों की सूची;
- (ञ) बोर्ड नीतियों की प्रतियाँ ;
- (ट) वार्षिक रिपोर्ट, अंकेक्षण प्रतिवेदन, विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन, जाँच प्रतिवेदन और उनका अनुपालन;
- (ठ) अन्य विधियों तथा विनियमों की प्रतियाँ, जिनके अध्यक्षीन सहकारी समिति हो;
- (ड) ऐसे अन्य दस्तावेज, जो सहकारी समिति की क्रियाओं से सुसंगत हो;

परन्तु जहाँ सहकारी समिति का शाखा-कार्यालय हो, वहाँ शाखा-कार्यालयों संबंधी लेखा एवं अभिलेख, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पचीस दिनों के भीतर किसी अवधि के लिए निबंधित कार्यालय में उपलब्ध रहेगा;

- (ढ) नावार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक तथा निबन्धक द्वारा समय-समय पर, निर्गत परिपत्रों/प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित सभी अन्य दस्तावेज, पंजी तथा परिपत्र आदि।

(2) समर्थनकारी अभिलेखों तथा भाउचरों सहित, प्रत्येक सहकारी समिति की लेखा पुस्तकें ऐसी अवधि के लिए जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अध्यक्षीन, उपविधियों में उपबंधित की गयी हो।

9. अधिनियम VI, 1935 की धारा-40 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा-40 की उप-धारा (1) के प्रथम पंक्ति में शब्द एवं अंक “अतः धारा-33 के अधीन अंकेक्षण” के बाद शब्द एवं अंक “तथा धारा-33.क के अधीन विशेष अंकेक्षण” अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

10. अधिनियम VI, 1935 की धारा-41 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा-41 की उप-धारा (1), (2), (3) एवं (4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी, यथा:—

“(1) यदि निबन्धक की राय में किसी सहकारी समिति का बोर्ड, जिसमें राज्य सरकार ने हिस्सा पूँजी का अंशदान किया हो अथवा राज्य सरकार द्वारा ऋण अथवा वित्तीय सहायता दी गई हो अथवा सरकारी गारंटी पर ऋण दिया गया हो

- (i) लगातार ऋण अदायगी में चूक की हो, अथवा
- (ii) इस अधिनियम, नियमावली या उपविधियों द्वारा उसपर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही की हो, या
- (iii) सहकारी समिति अथवा उसके सदस्यों के हित के विरुद्ध कार्य किया हो, या
- (iv) बोर्ड के गठन अथवा कार्यकलाप में गतिरोध हो, तो वह समिति के बोर्ड को अपनी आपत्ति अधिकथित करने का, यदि कोई हो, अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणों सहित लिखित आदेश द्वारा सहकारी समिति के बोर्ड को अधिकतम छह माह के लिए अधिक्रमित कर सकेंगे और आदेश दे सकेंगे कि उसके सभी अथवा कोई सदस्य आदेश में विनिर्दिष्ट होने वाली पाँच वर्ष से अनधिक कालावधि तक के लिए सहकारी समिति के बोर्ड में निर्वाचन के लिए निरर्हित होंगे। निबन्धक इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश को लिखित रूप में

अभिलिखित करेंगे और निबंधित डाक से संबंधित सहकारी समिति को सूचित कर देंगे । तब बोर्ड कार्य करना रोक देगा:

परन्तु ऐसी सहकारी समिति के मामले में जो बैंकिंग का कारोबार कर रही हों, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के प्रावधान भी लागू होंगे :

परन्तु और कि बैंकिंग का कारोबार करने वाली ऐसी सहकारी समिति के मामले में, बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि अधिकतम एक वर्ष की होगी :

परन्तु और भी कि बैंकिंग प्रचालन वाली सहकारी समिति के बोर्ड का अधिक्रमण भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किया जायेगा।

(2) जहाँ उप-धारा (1) के अधीन कार्यवाही करते समय निबन्धक की राय में निबंधित समिति के हित में बोर्ड का निलंबन आवश्यक हो, तो वे बोर्ड को निलम्बित कर सकेंगे, जो उसके बाद कार्य नहीं करेगा और उप-धारा (1) की कार्यवाही की समाप्ति तक निबंधित समिति के कार्यकलाप के प्रबंधन के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे, जो वे उचित समझें:

परन्तु यदि इस प्रकार निलम्बित बोर्ड अधिक्रमित नहीं होता है, तो छह माह के उपरान्त कार्य करने लगेगा और निलंबन में रहने की अवधि की गणना उसकी अवधि में की जायेगी।

(3) जब कोई सहकारी समिति उप-धारा (1) के अधीन निलंबन के अधीन हो तो निबन्धक सहकारी समिति के कार्य संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त करेंगे। नियुक्त प्रशासक उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सहकारी समिति के बोर्ड के नव निर्वाचन हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे तथा नव निर्वाचित बोर्ड को प्रबंधन का कार्यभार सौंप देंगे:

परन्तु निबंधक को अधिक्रमण की अवधि के दौरान प्रशासक को बदलने की शक्ति होगी।

(4) उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त प्रशासक सहकारी समिति के कार्य संचालन के लिए ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, जो निबंधक द्वारा यथोचित नियत किया जाय। इस प्रकार नियत पारिश्रमिक सहकारी समिति के खाते से भुगतेय होगा:

परन्तु उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त प्रशासक, निबन्धक द्वारा निर्मित सेवा शर्तों के अधीन कार्य करेंगे तथा इस अधिनियम, नियमावली एवं समिति की उपविधियों में बोर्ड को प्रदत्त सभी कर्तव्यों तथा दायित्वों का निर्वहन करेंगे।”

11. अधिनियम VI, 1935 की धारा-42 का प्रतिस्थापन। – उक्त अधिनियम की धारा-42 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:—

“**42. समापनादेश।**— निबन्धक अधिसूचना द्वारा किसी निबंधित सहकारी समिति का परिसमापन आदेश दे सकेंगे, यदि —

- (क) कोई समिति के तीन-चौथाई सदस्यों द्वारा पारित विशेष संकल्प द्वारा समिति के परिसमापन हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ हो;
- (ख) धारा-35 के अधीन जाँच अथवा धारा-34, धारा-36 अथवा धारा-37 के अधीन निरीक्षण के बाद यदि निबन्धक की राय हो कि सदस्यों के हित में उस सहकारी समिति का परिसमापन आवश्यक हो;
- (ग) निबंधन के उपरान्त सहकारी समिति द्वारा कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया है अथवा कार्य करना बन्द कर दिया गया हो;
- (घ) निबंधन की शर्तों के प्रतिकूल सहकारी समिति के सदस्यों की संख्या कम होकर दस से कम हो गई हो:

परन्तु ऐसा आदेश, सहकारी समिति के हिस्साधारक सदस्यों तथा हितबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं को कम से कम एक माह का नोटिस देकर उन्हें सुनने के पश्चात् ही, पारित किया जायेगा।”

12. अधिनियम VI, 1935 की धारा-43 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा-43 की उप-धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:—

“(1) उस सहकारी समिति का कोई सदस्य अथवा हितबद्ध व्यक्ति/संस्था, राजपत्र में धारा-42 के अधीन पारित आदेश के प्रकाशित होने की तिथि से दो माह के भीतर, उस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकेगा।”

13. अधिनियम VI, 1935 की धारा-45 का संशोधन।—उक्त अधिनियम की धारा-45 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:—

“**45. अपराध और शास्तियाँ।**—(1) इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा, यदि—

- (क) कोई सहकारी समिति, अथवा उसका कोई पदाधिकारी, अथवा सदस्य, जानबूझकर मिथ्या विवरणी बनाये, या मिथ्या जानकारी दे, अथवा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उससे अपेक्षित कोई जानकारी अथवा इस अधिनियम के प्रावधान के अधीन कोई जानकारी निबंधक को जानबूझकर नहीं दें, अथवा,

- (ख) कोई व्यक्ति जानबूझकर अथवा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के किसी सम्मन, अधियाचना अथवा इस अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन निर्गत, विधिसम्मत लिखित आदेश की अवज्ञा करे, अथवा,
- (ग) कोई नियोक्ता जो बिना किसी पर्याप्त कारण के, अपने कार्मिकों से कटौती की गई राशि को कटौती की तिथि से चौदह दिनों के भीतर सहकारी समिति को भुगतान करने में असफल हो, अथवा,
- (घ) कोई पदाधिकारी, अथवा अभिरक्षक, जो सहकारी समिति की पंजियों, लेखाओं, दस्तावेजों, अभिलेखों, नकद, प्रतिभूति एवं अन्य परिसम्पत्तियों की अभिरक्षा, जिनका वह पदाधिकारी अथवा अभिरक्षक हो, जानबूझकर अधिकृत व्यक्ति को सौंपने में असफल हो, और
- (ङ) कोई व्यक्ति, जो सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्यों, अथवा पदधारियों के निर्वाचन के पूर्व, निर्वाचन के दौरान, अथवा उसके पश्चात्, भ्रष्ट आचरण में संलिप्त हो।

(2) इस धारा की उप-धारा (1) के अधीन कोई अपराध एक वर्ष तक की अवधि के कारावास से या 2000/- (दो हजार) रु० तक के जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा:

परन्तु जहाँ कोई व्यक्ति दुर्विर्णयोजन, कपट, न्यास-भंग, छल या ऐसे अन्य किसी कार्य, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो, का दोषी हो, जिसके परिणामस्वरूप सहकारी समिति को हानि हुई हो, तो वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन भी दण्डनीय होगा।”

14. अधिनियम VI, 1935 की धारा-47 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा-47 की उप-धारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:—

“(2) इस अधिनियम की धारा-45 की उप-धारा (1) (ग) के अधीन अपराध को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2, 1974) के प्रयोजनार्थ संज्ञेय माना जाएगा।”

15. अधिनियम VI, 1935 की धारा-66.ख का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा-66.ख निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:—

“**66.ख. सहकारी समितियों की कार्मिक नीति।**— (1) सहकारी समितियों को, अपनी उपविधियों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, समिति के कार्मिकों के पदों के स्वरूप और संख्या तथा कार्मिकों की भर्ती की रीति अवधारित करने की स्वायत्तता होगी। इस प्रयोजनार्थ सहकारी समिति अपनी कार्मिक नीति बना सकेगी। सहकारी समितियाँ अपनी उपविधियों के प्रावधानों एवं कार्मिक नीति के अधीन रहते हुए अन्य के बीच निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेगी:—

- (1) पात्रता, आयु और अनुभव,
- (2) वेतनमान और अन्य उपलब्धियाँ,
- (3) भर्ती की रीति,
- (4) सेवा की शर्तें, और
- (5) अपनाई जानेवाली अनुशासनिक प्रक्रिया।

(2) उपविधियों के प्रावधानों एवं कार्मिक नीति का अतिलंघन में की गई नियुक्ति शून्य समझी जायेगी, मानों ऐसी नियुक्ति कभी विद्यमान नहीं थी एवं वेतन तथा अन्य भत्तों के रूप में किये गये भुगतान की राशि, यदि कोई हो, धारा-40 के अधीन वसूलनीय होगी।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

22 मई 2013

सं० एल०जी०-1-10/2013/85/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 मई, 2013 को अनुमत बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 6, 2013]
BIHAR CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2013
AN
ACT

TO AMEND THE BIHAR CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1935

PREAMBLE.—WHEREAS, voluntarily constituted Co-operative Societies can lead to the socio-economic betterment of their members based on their participation, democratic control and autonomous functioning so as to act more meaningfully in the interests of their members;

AND, WHEREAS, it is obligation of the State Government to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of the Co-operative Societies in the State and promote them and take such measures as are necessary for this purpose;

AND, WHEREAS, in pursuance of The Constitution (Ninety Seventh Amendment) Act, 2011, many amendments are imperative in the Bihar Co-operative Societies Act, 1935; to keep in consonance with the above Amendment.

BE IT enacted by the legislature of the State of Bihar in the Sixty-Fourth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.— (1) This Act may be called the Bihar Co-operative Societies (Amendment) Act, 2013.

- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force at once.

2. Amendment in Section-2 of the Bihar Co-operative Societies Act, 1935 (Act VI, 1935)— In Section- 2 of the Bihar Co-operative Societies Act, 1935 (Act VI, 1935) (herein after referred to as the said Act) shall be amended as follows, namely –

(1) Sub-section (e) shall be substituted by the following:-

“(e) **“Board”** means Board of Directors or Governing Body or Managing Committee by whatever name it is called to whom the management of the affairs of a Co-operative Society is entrusted;”

(2) Sub-section (gg) shall be substituted by the following:-

“(gg) **“Office-bearer”**- means a President, Vice-president, Chairperson, Vice-chairperson, Secretary or Treasurer of a Co-operative Society and includes any other person to be elected by the Board of any Co-operative Society.”

(3) After sub-section (p) following new sub-sections (q), (r), (s) and (t) shall be inserted:-

“(q) **“General Body”** - means all the members or delegates of all the members of that Co-operative Society collectively;

“(r) **“Functional Directors”**- means functional executive directors of the Society specified in Rules or Bye-laws of that Co-operative Society;”

“(s) **“Backward Classes”** – means and includes the list of Backward Classes of citizens specified in Annexure-2 of the Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1991 (Bihar Act No. – 3, 1992), as amended from time to time;”

“(t) **“Extremely Backward Classes”** – means and includes the list of Backward Classes of citizens specified in Annexure-1 of the Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1991 (Bihar Act No. – 3, 1992), as amended from time to time;”

3. Amendment in Section- 13A of the Act VI, 1935. — In the said Act Sub-section (1) and sub-section (2) of Section- 13A shall be substituted by the following, namely:-

- “(1) It shall be the duty of the State Government to encourage and promote the voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of Co-operative Societies in the State and to take such steps in this direction as may be necessary.

- (2) To encourage and promote the Co-operative Society, the State Government, if it deems necessary, may –
- With a view to aid the growth of a Co-operative Society in general or of any class of registered societies subscribe directly to the share capital of a Co-operative Society;
 - assist in the formation and augmentation of the share capital of a Co-operative Society;
 - give loans or make advances to a Co-operative Society or guarantee repayment of principal amount and payment of interest on debentures issued by a Co-operative Society or guarantee repayment of principal amount and payment of interest on loans or advances to a Co-operative Society.”

4. *Amendment in Section- 14 of the Act VI, 1935.* —In the said Act following amendment shall be made, namely -

- (1) The proviso to sub-section (2) of Section-14 shall be substituted by the following, namely provisos:-

“Provided that there shall be reservation of two seats for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, two seats for the Backward Classes and two seats for the Extremely Backward Classes on the Board of every Co-operative Society:

Provided further that for the purpose of reservation of seats as in the above proviso, the State Government may, by general or special order, exclude the Board of societies or class of societies not consisting of individuals as members or not having members from above categories of reservation:

Provided further that the total number of seats so reserved shall not exceed fifty percent of the total number of seats:

Provided further also that as nearly as but not exceeding fifty percent of the total number of seats so reserved shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Backward Classes and the Extremely Backward Classes, as the case may be:

Provided further also that as nearly as but not exceeding fifty percent of the total number of seats not reserved above for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Backward Classes and the Extremely Backward Classes shall be reserved for women:

Provided further also that the total number of seats so reserved for women shall not be less than two.

The seats so reserved shall be filled up from amongst the members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, Backward and Extremely Backward Classes and women either by election or/and by co-option. This provision shall apply to all societies from the Primary Society and up to the Apex societies:

Provided further also that such reservation in Primary Society and up to the Apex Society shall be governed by the rules made under this Act for this purpose.”

- (2) Sub-section (4) shall be renumbered as (4) (a)
 (3) A new sub-section (4) (b) shall be added after sub-section (4) (a) as follows, namely: -

“(4)(b) Notwithstanding anything contained in any provision of this Act, or rules framed there under or the Bye-laws of any Co-operative Society, persons having experience in the field of banking, management, finance or specialization in any other field relating to the objects and activities undertaken by the Co-operative Society may be co-opted to the Board of the Society;

Provided that the number of such co-opted members shall not exceed two and that number shall be in addition to the specified maximum number prescribed in the sub-section (2.);

Provided further that such co-opted members shall not have the right to vote in any election of the Co-operative Society in their capacity as such members or to be eligible to be elected as Office-bearers of the Board.

Provided further also that the Functional Directors of a Co-operative Society shall also be the members of the Board and such members shall be excluded for the purpose of counting the total number of Directors specified in the sub-section (2.)”

- (4) Sub-section (9) shall be substituted by the following, namely:-

“(9) Notwithstanding anything contained in any provision of rules or the Bye-laws of any Co-operative Society the term of office of elected members of the Board and its Office-bearers shall be five years from the date of election and the term of Office-bearers shall be co-terminus with the term of the Board:

Provided that the Board may fill a casual vacancy on the Board by nomination out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of the Board is less than half of its original term;

Provided further that if the term of the Board remains for more than half of its original term and if any vacancy arises for elected members or Office-bearers for any reason whatsoever, the Bihar State Election Authority shall fill the vacancy for remaining period by holding bye-election.”

- (5) Sub-section (10) shall be substituted by the following, namely:-

“(10) If for any reason Bihar State Election Authority has failed to conduct the election of the Board in any Co-operative Society where Government has provided share capital or loan or financial assistance or any Government guarantee, the Board shall be deemed automatically superseded from the date of expiry of its term and the Registrar, Co-operative Societies shall appoint any person as Administrator for a period of not more than six months for getting the new Board constituted by election. The Administrator so appointed shall provide every possible help to the Bihar State Election Authority to conduct the election. This arrangement shall be an interim arrangement and the Administrator shall hand over the management of the Society to the new Board after election within the prescribed period;

Provided that where the Government has not provided share capital or loan or financial assistance or any Government guarantee and where the Bihar State Election Authority fails to conduct elections before the expiry of the term of the Board, the Registrar of the Co-operative Societies may order to convene a special General Meeting of the members, for appointing an ad-hoc Board for the purpose of conducting elections:

Provided further that the outgoing members and Office-bearers of Board shall not be included in ad-hoc Board for the purpose of conducting elections;

Provided further also that the term of ad-hoc Board so appointed shall not exceed six months and the ad-hoc Board so appointed shall provide every possible help to the Bihar State Election Authority to conduct the election.

This arrangement shall be an interim arrangement and such appointed ad-hoc Board shall hand over the management of the Society to the new Board after election within the prescribed period.”

5. *Substitution of Section-27 of the Act VI, 1935.*— Section-27 of the said Act shall be substituted by the following, namely:-

“**27. Right of a Member.**- (1) Member of a Co-operative Society shall exercise the rights of a member after he has made such payment to the Society in respect of membership as may be prescribed in the rules or Bye-laws of the Society;

Provided that notwithstanding anything contained in any provisions of this Act, the member of a Co-operative Society can exercise the right to vote at the election of members of the Board of Society only after ensuring minimum attendance, as required in the meetings convened for participation in management of the Society and availing of

minimum requisite services of the Society as may be prescribed by the rules or the Bye-laws of the Society made under this Act.

- (2) Every Co-operative Society shall provide access to every member to the books, information and accounts of the Co-operative Society kept in regular transaction of its business with such member.
- (3) Every member of a Co-operative Society shall have the right to get all information/documents regarding books, information and accounts of the Co-operative Society kept in regular transaction of its business. The Chief Executive officer/manager of the Co-operative Society shall ensure access to the member to all required information/documents.
- (4) The members of any Co-operative Society shall have the right to get Co-operative education and co-operative related training as per the rules or Bye-laws made under any provisions of this Act.”

6. *Insertion of chapter IVA after chapter IV of the Act VI, 1935.*— In the said Act after Chapter IV-the following Chapter IVA shall be inserted, namely—

“CHAPTER IV A.

Annual General Meeting and Annual Returns of the Co-operative Society

32A. Annual General Meeting.- (1) Board of every Co-operative Society shall convene Annual General Meeting within six months from the closure of every financial year, which shall deal with all or any of the matter listed below except those in relation to the election of members and Office-bearer of the Board:-

- (a) Consideration of the Annual Statement of Accounts presented by the Board for being filed before the Registrar,
 - (b) consideration of Annual Report presented by the Board,
 - (c) appointment and removal of Statutory Auditors and Internal Auditors,
 - (d) consideration of the auditor’s report and audited Statement of Accounts for being filed with the Registrar,
 - (e) consideration of audit/special audit compliance report,
 - (f) report on action taken on inquiry report, if any,
 - (g) disposal of net surplus,
 - (h) review of operational deficit, if any,
 - (i) approval of the long term perspective plan and the annual operational plan,
 - (j) approval of the annual budget,
 - (k) creation of specific reserves and other funds,
 - (l) review of actual utilization of reserve and other funds,
 - (m) report on membership of the Co-operative Society in other Co-operative Societies,
 - (n) appeal of a person whose application for membership has been rejected or whose membership has been terminated by the Board,
 - (o) remuneration payable to any Director, Auditor or Internal Auditor in connection with his duties in that capacity or his attendance at related meeting,
 - (p) membership of the Co-operative Society in Union/Federation,
 - (q) collaboration with other organisation,
 - (r) amendment of Bye-laws,
 - (s) formulation of code of conduct for the Directors and Office-bearers,
 - (t) note on admission and termination of membership of the members,
 - (u) dissolution of the Co-operative Society,
 - (v) such other functions specified in the Bye-laws.
- (2) In accordance with the provisions for the works specified, under sub-section (1), the Annual General Meeting of the Co-operative Society shall be held at a time, date and place notified in accordance with the Bye-laws and if a quorum is present, the Chairman of the Co-operative Society shall preside the meeting;

Provided that in the absence of Chairman, Vice-Chairman, or in the absence of both Chairman and Vice-Chairman, a person elected by the members from among themselves shall preside the meeting:

Provided further that in case of a Society where the Managing Committee has either been superseded under the provision of the Act, the Administrator shall be the Chairman of the General Meeting and in his absence a person nominated by him shall be the Chairman of the meeting.

- (3) The person presiding at the meeting shall conduct the proceedings in such manner as may be conducive to expeditious and satisfactory disposal of business and shall decide all points of order at the meeting.
- (4) The quorum for a General Meeting shall be one fifth of the total membership of the Society on the date of issue of the notice of the meeting.
- (5) If within an hour of the time scheduled appointed for the meeting the quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to a date not earlier than seven days and not later than twenty- one days.
- (6) No quorum shall be necessary for an adjourned meeting.
- (7) All questions before a General Meeting shall be decided by a majority of votes and in the event of equality of votes, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
- (8) Voting by proxy shall not be allowed, but the Registrar may permit this to be done in the case of any particular Registered Society or class of registered societies.
- (9) Voting at a General Meeting shall be done by show of hands and only in exceptional case voting by ballot may be resorted to if the Registrar so directs, on his own motion, or on the application filed by the Society concerned.
- (10) The minutes of proceeding of General Meeting shall be recorded in a book to be kept for the purpose and the minutes shall be signed by the person presiding at the meeting.
- (11) An appeal shall lie to the Registrar on all matters relating to procedure followed at any General Meeting and his decision thereon shall be final.

32B. Filing Annual Returns- Every Co-operative Society shall file Annual Returns before the Registrar within six months of the end of each financial year which shall include following subjects:-

- (a) Annual Report of the activity;
- (b) Audited Statement of the Accounts;
- (c) Plan to deal with the surplus as approved by General Body;
- (d) List of the amendments done, if any, in the Bye-laws of the Co-operative Society;
- (e) Declaration relating to the conduct of election, if due, and date for the arrangement of General Body Meeting;
- (f) Any other information, if required to carry out any of the provisions of the Act notified by Registrar.

7. Substitution of Section - 33 of the Act VI, 1935.— Section - 33 of the said Act shall be substituted by the following, namely:-

“33 Audit.- (1) A Co-operative Society shall get its accounts audited by Auditor from a panel approved by State Government or the authority authorized by the State Government, at least once in every financial year. Such Auditor shall either be Chartered Accountants within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 or Auditors from the office of the Registrar.

- (2) The minimum educational qualification of the Auditors from a panel approved by State Government or an authority authorized by the State Government shall be Graduate (with Mathematics) or commerce Graduate from any recognised d University. Such Auditor or Chartered Accountants firm shall be required to have at least three years of audit experience. Only such Auditor or Chartered Accountants firm shall be eligible for the audit of the accounts of Co-operative Society.

- (3) The audit of the accounts of every Co-operative Society shall be done by the Auditor or Chartered Accountant firm, specified under sub-section (2), appointed by the General Body of Co-operative Society.
- (4) It shall be mandatory to audit the accounts of every Co-operative Society within six months of the end of the financial year to which accounts is related to.
- (5) Apex Co-operative Society, with the approval of General Body, shall compulsorily submit the Audit Report, after the audit of its statement of accounts, to the Registrar within thirty days which shall be placed before the State Legislature in accordance with the procedure laid down for this purpose by the State Government.
- (6) The Auditor's Report in addition to the report on the accounts of the Co-operative Society shall also contain report on the attendance at Board meeting, by Directors, the loans and advances sanctioned to or the business done with the Co-operative Society by the Directors, expenditure on Board Meetings, remuneration paid to Directors, expenditure reimbursed to Directors, expenditure on education and training for members, staff, Directors and others.
- (7) It shall be the duty of the Board to ensure that annual financial statements are prepared and presented for audit within forty-five days of closure of the financial year.
- (8) The remuneration of an Auditor shall be fixed by the General Body;
Provided that if audit is done by the Auditor of the office of Registrar, the Co-operative Society shall pay the audit fee fixed by the Registrar.
- (9) The General Body may, at a special meeting, remove an Auditor from office by a resolution passed by a majority of the members present and voting.
- (10) Upon the demand of the Auditor of a Co-operative Society the present or former Office-bearers, Board members or employees of the Co-operative Society shall furnish-
 - (a) such information and explanation, as may be considered necessary, and
 - (b) each of the record, documents, books, accounts and vouchers of the Co-operative Society as are, in the opinion of the Auditor, necessary to enable him to make the examination and report.
- (11) Where a Co-operative Society fails to get its Annual Accounts audited when due, Registrar shall get the accounts of the Co-operative Society audited within a period of ninety days from the date when the audit was due.
- (12) The cost of conducting such audit shall be borne by the Co-operative Society."

8. *Insertion of Section - 33A and Section - 33B after Section - 33 of the Act VI, 1935.*—The following Sections - 33A and 33B shall be inserted after Section - 33 of the said Act namely:-

“33A. Special Audit.- (1) A Co-operative Society dealing with funds from the Government or other external individual or institution may be subject to a special audit initiated by the Registrar at the request of such creditor or of his own motion with written specific order/direction.

- (2) Special Audit under sub-section (1) shall be done by District Audit Officer/Senior level Audit Officers or any Committee of such Officers under the control of Registrar.
- (3) Where the Special Audit reveals serious mismanagement in the Co-operative Society, costs of such Special Audit may be recovered from the Co-operative Society or the persons responsible for the mismanagement.
- (4) Every Special Audit shall be completed and the report submitted to the Registrar within one hundred and twenty days from the date of issuance of the order.
- (5) The Special Audit Report shall contain a statement of :-
 - (a) every payment which appears to the Auditor to be contrary to Act, Rules or Bye-laws of the Society,
 - (b) the amount of any deficiency, waste or loss which appears to have been caused by the gross negligence or misconduct of any person in the performance of duties,

- (c) the amount of any sum received which ought to have been accounted for, but it is not brought into account by any person, and
 - (d) any asset or money to which any person related with the organization or management of the Co-operative Society or any former or present member of the Co-operative Society has misappropriated or fraudulently retained any property of the Society.
- (6) The Registrar shall, within a period of thirty days from the date of the receipt of the Special Audit Report transmit copies of the same to –
- (a) the applicant creditor,
 - (b) the Co-operative Society concerned, and
 - (c) the authorized Audit Officer to file proceedings of surcharge, where necessary, under Section -40.

33B. Maintenance of accounts and records.- (1) Every Co-operative Society shall keep at its registered office the following accounts and records :-

- (a) a copy of this Act with amendments made from time to time,
 - (b) the minutes book,
 - (c) registration certificate and a copy of the registered Bye-laws and the amendments registered from time to time with date of amendment,
 - (d) a copy of the authenticated Bye-laws of the Federation/Union of which it is a member and for each of its member Co-operative Societies,
 - (e) account of all sums of money received and expended by the Co-operative Society and their respective purposes,
 - (f) account of all purchases and sales of goods by the Co-operative Society,
 - (g) account of the assets and liabilities of the Co-operative Society,
 - (h) a register showing total membership and the member wise use of various services,
 - (i) a list of members with voting rights for the current year updated within thirty days of closure of the financial year,
 - (j) copies of the Board policies,
 - (k) Annual Report, Audit Report, Special Audit Report, Inquiry Report and their compliances,
 - (l) copies of other laws and regulations to which the Co-operative Society is subject,
 - (m) such other documents as are relevant to the functioning of the Society;

Provided that where a Co-operative Society has branch offices, accounts and records related to the branch, shall be available at the registered office for any period within twenty five days of the end of the financial year,
 - (n) all other documents, register, circulars, etc. required in accordance with the provisions and circulars issued by NABARD, Reserve Bank of India and Registrar from time to time.
- (2) The books of accounts of every Co-operative Society together with supporting records and vouchers shall be preserved for such period as may be provided in the Bye-laws subject to any other laws for the time being in force.”

9. *Amendment in Section-40 of Act VI, 1935. - In the first line of sub-section (1) of Section-40 of the said Act after the words and figures “Audit under Section-33” the words and figures “and Special Audit under Section - 33A” shall be inserted.*

10. *Amendment in Section - 41 of the Act VI, 1935- Sub-section (1), (2), (3) and (4) of Section 41 of the said Act shall be substituted by the following, namely:-*

“(1) In the opinion of the Registrar, the Board of any Registered Society, the State Government has contributed to the share capital therein, or loan or financial aid has been provided by the State Government or loan has been provided on Government guarantee,

- (i) is persistently making defaults or

- (ii) is negligent in the performance of its duties imposed on it by this Act, the Rules or the Bye-laws, or
- (iii) has conducted against the interest of the Co-operative Society or its members or
- (iv) there is stalemate in the constitution or functioning of the Board, he may, after giving opportunity to the Board/Managing Committee to state its objection, if any, by order with reasons in writing, supersede the Board of the Co-operative Society for a period not exceeding six months and order that all or any of its members may be disqualified from being elected to the Board of the Co-operative Society for a period to be specified in the order not exceeding five years. Registrar shall record every order passed under this Section in writing and inform the concerned Co-operative Society through registered post. The Board shall thereupon cease to function;

Provided that in case of Co-operative Society carrying on the business of banking, provisions of Banking Regulation Act, 1949 shall also apply;

Provided further that in case of Co-operative Society carrying the business of banking the maximum period of supersession shall be of one year;

Provided further also that the dissolution of the Board of the Co-operative Society having banking operation shall be done in consultation with the Reserve Bank of India.

- (2) where the Registrar while proceeding to take action under sub-section (1) is of opinion that suspension of the Board is necessary in the interest of the Registered Society, he may suspend the Board which shall thereupon cease to function and make such arrangement as he thinks proper for the management of the affairs of the Registered Society till the proceedings under sub-section (1) are completed;

Provided that if the Board so suspended is not superseded it shall be reinstated after six months and the period during which it has remained suspended shall count towards its term.

- (3) When any Co-operative Society is under supersession under sub-section (1), the Registrar shall appoint an Administrator to conduct the affairs of the Society. The Administrator appointed under sub-section (1), shall take necessary action for the holding of fresh election of the Board of the Co-operative Society within the specified period as under sub-section (1) and shall hand over the management to the newly elected Board;

Provided that the Registrar shall have the power to change the administrator during the period of supersession.

- (4) The Administrator appointed under sub-section (3) shall get remuneration, as may be fixed by the Registrar, as he deems fit to carry on the business of the Co-operative Society. The remuneration so fixed shall be payable from the accounts of Co-operative Society;

Provided that the Administrator appointed under sub-section (3) shall work under the service condition laid down by the Registrar and shall perform all the duties and carry on responsibilities assigned to the Board under this Act, Rules and the Bye-laws.

11. Substitution of Section - 42 of the Act VI, 1935. – Section - 42 of the said Act shall be substituted by the following, namely:-

“42. Winding-up order.– The Registrar may, by notification, order a registered Co-operative Society to be wound up if –

- (a) on receipt of a request for the winding-up of the Society by, special resolution passed by three-fourth of the members of the Society,
- (b) after an inquiry has been held under Section - 35 or an inspection made under Section - 34, Section - 36 or Section - 37, the Registrar is of the opinion that winding-up of the Society is necessary in the interest of members, or

- (c) if a Society has not commenced working after registration or has ceased working.
- (d) if the number of the members of the Society has been reduced to less than ten contrary to the condition of registration;

Provided that such order can only be passed after giving a notice of one month and providing opportunity of hearing to the shareholder members and persons/institutions having interest in the Society.”

12. *Amendment in Section - 43 of the Act VI, 1935. – Sub-section (1) of Section - 43 of the said Act shall be substituted by the following, namely:-*

- “(1) Any member of a Society or person/institution having interest in it, may appeal against an order passed under Section - 42 to the State Government, within two months from the date of the publication of such order in the Official Gazette.”

13. *Amendment in Section- 45, of the Act VI, 1935. – Section – 45 of the said Act shall be substituted by the following, namely:-*

“**45. Offences and Penalties.**– (1) It shall be an offence under this Act if-

- (a) a Co-operative Society or an officer or member thereof willfully makes a false return or furnishes false information, or willfully not furnishes any information required from him by a person authorised in this behalf or a Registrar under the provisions of this Act;
 - (b) any person willfully or without any reasonable cause disobeys any summons, requisition or lawful written order issued under the provisions of this Act;
 - (c) any employer who, without sufficient cause, fails to pay to a Co-operative Society amount deducted by him from its employee within a period of fourteen days from the date on which such deduction is made;
 - (d) any officer or custodian who willfully fails to handover custody of books, accounts, documents, records, cash, security and other property belonging to a Co-operative Society of which he is an officer or custodian, to an authorised person; and
 - (e) any person who indulges in the corrupt practices before, during or after the election of the Office-Bearer or member of the Board of the Co-operative Society.
- (2) Any offence under sub-section (1) of this Section shall be punishable with imprisonment for a period which may extend up to one year or with a fine which may amount to rupees two thousand or both;

Provided that where a person is guilty of misappropriation, fraud, breach of trust, cheating or any other act involving moral turpitude, resulting in a loss to the Co-operative Society, he shall also be punishable under the relevant provisions of the Indian Penal Code, 1860.”

14. *Amendment in Section - 47 of the Act VI, 1935. – sub-section (2) of Section - 47 of the said Act shall be substituted by the following, namely:-*

- “(2) Every offence under this Act, except the offence under sub-section (1) (c) of Section - 45 shall, for the purpose of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) be deemed to be a cognizable offence.”

15. *Amendment in Section - 66 B of the Act VI, 1935. – Sub-section (1) of Section - 66 B of the said Act shall be substituted by the following, namely:-*

“**66B. Personnel policy of Co-operative Societies.**– (1) Co-operative Societies shall have autonomy in the formulation of the types of posts, their numbers and the procedure for recruitment of the personnel thereof. The Co-operative Society can frame personnel policy, for this purpose. Subject to provisions of its Bye-laws and personnel policy the Co-operative Society shall prescribe for the following, among others:-

- (1) eligibility, age and experience,
- (2) pay scale and other emoluments,
- (3) procedure of recruitment,
- (4) service condition, and
- (5) disciplinary policy to be adopted.

- (2) Any appointment made in contravention of the provisions of the Bye-laws and the personnel policy shall be void as if no such appointment ever existed and salary and other allowances paid, if any, shall be recoverable under Section - 40.”

By order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 401-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>